3[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
की जाकर पत्रावली दिनांक [illegible]
है पेशी इत्यादि की जाकर [illegible]
...को पेश हो। आज्ञा है।

[illegible] आज पीठासीन अधिकारी
16/9 पत्रावली [illegible] कार्यों में व्यस्त होने
[illegible] [illegible] पत्रावली दिनांक 23.9.2020
है पेशी [illegible]
...को पेश हो। आज्ञा है।

23.9.20 पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी
अवकाश पर, दीगर कार्यों में व्यस्त होने
है पेशी इत्यादि की जाकर पत्रावली दिनांक 13.10.2020
...को पेश हो। आज्ञा है।

पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी
अवकाश पर, दीगर कार्यों में व्यस्त होने 04/11/2020
13/10/2020 है पेशी इत्यादि की जाकर पत्रावली दिनांक
...को पेश हो। आज्ञा है।

5.11.20 पत्रावली पेश हुई वकील [illegible]
तहसीलदार [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] 21 [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

बहस पक्षकारान सुनी गई बहस पर मनन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किए योग्य होने से स्वीकार किया जाता है निर्णय पृथक से लिखा जाकर खुले इजलास सुनाया। निर्णय पालनार्थ तहसीलदार कोसीकलां को तहरीर जावे।
पत्रावली फैसल दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर, गोवर्धन

बनाम

अप्रार्थीः– श्रीमान् तहसीलदार ओसियां।

उपस्थित –

प्रार्थी की ओर से – अधिवक्ता श्री घेवरराम विश्नोई

अप्रार्थी की ओर से – सरकारी पैरोकार।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

<u>–::निर्णय::–</u>

दिनांकः– 5/11/2020

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि– प्रार्थी व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काष्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 118/3 रकबा 15 बीघा, मौजा बेगड़िया, पटवार हल्का थोब, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई हैं। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम भँवरूराम पुत्र सेराराम दर्ज है। लेकिन प्रार्थी का वास्तविक नाम भंवरलाल पुत्र शेराराम है। राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों की भूलवश भँवरूराम पुत्र सेराराम दर्ज कर दिया जो गलत हैं। प्रार्थी के तमाम दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि दस्तावेज में भंवरलाल पुत्र शेराराम दर्ज हैं। उक्त राजस्व रेकर्ड में उक्त त्रुटि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण हुई हैं। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं।यह हैं कि राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थी को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं। उक्त राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम की त्रुटि बाबत् हल्का पटवारी व तहसीलदार ओसियां को निवेदन किया लेकिन उन्होंने त्रुटि सुधारने से इन्कार कर दिया और कहा कि उक्त त्रुटि सुधारने बाबत् उपखण्ड अधिकारी ओसियां से आदेश लेना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बेगड़िया की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 118/3 रकबा 15 बीघा, के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम भँवरूराम पुत्र सेराराम दर्ज जो गलत है इसके स्थान

सहायक कलेक्टर, ओसि

Scanned with CamScanner

पर वास्तविक नाम भंवरलाल पुत्र शेराराम दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें भी उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी का सही नाम भंवरलाल पि. शेराराम है तथा राजस्व रेकर्ड में भी भँवरूराम पुत्र सेराराम के स्थान पर भंवरलाल पुत्र शेराराम किया जाना उचित है।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम भंवरलाल पुत्र शेराराम है जो पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से स्पष्ट है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 118/3 रकबा 15 बीघा, ग्राम बेगड़िया, पटवार हल्का थोब, तहसील ओसियां राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम भँवरूराम पुत्र सेराराम के स्थान पर भंवरलाल पुत्र शेराराम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 5/11/2020 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner